

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम हो ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविष्य हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2012/ 6104

दिनांक: 26/02/13

//संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध चौ. दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिण्ड (07534-230615) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए., बी.लिब., एम.लिब., एम.ए.हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, सैन्य विज्ञान, एम.ए. (भूगोल), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्यायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्तन नियमानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-
जी.वि.वि., ग्वालियर।

- | | |
|--|----------|
| (1) प्रो. आई.बी. सिंह, प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर।
(2) डॉ. आर.एस. भद्रोहिया, शासकीय कॉलेज, डबरा।
(3) डॉ. राजराजी शर्मा, आचार्य, शा.के.आर.जी.कॉलेज, ग्वालियर।
(4) डॉ. ओ.पी. बुधीलिया, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।
(5) डॉ. हेमन्त शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(6) प्रो. ए.के. शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। | (संयोजक) |
|--|----------|

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अबुलुप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धोहरा राशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक

क स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिकेल्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति या प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आवित के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये नियमानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि समूप्रूप कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्यायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेंगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थात् जमा कराकर वर्चन समिति गतिकी जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अविवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विज्ञा छात्रों को प्रवेश देना अवैधाविक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्राली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को बी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर शेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से सांकेतिक स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियमित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुर्वत्त उच्च शिक्षा, सत्पुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समग्रत पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज
कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सविष्ठा हो।



ग्राम : गूलीबरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2012/ 6105

दिनांक: 26/02/13

//संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध चौ. दिलीप सिंह कव्या महाविद्यालय, शिएण्ड (07534-230615) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एच.एस-सी., बी.सी.ए., बी.कॉम., बी.एस-सी., एम.एच.एस-सी. (फूड एण्ड व्यूट्रीशन), एम.एस-सी.(जनु विज्ञान, वनस्पति, रसायन, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस), एम.एस-सी.(माइक्रोबायोलॉजी), एम.एस-सी. (गणित, वायोडेक) उत्तरार्द्ध पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय यथायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेगम 27(10) के अन्तर्गत नियमानुसार सिरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. महेश प्रकाश, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(0751-2442779)
(2) डॉ. आर.जे. गार, प्रणिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(3) प्रो. अविनाश तिवारी आचार्य, फूड टैक्नोलॉजी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(4) प्रो. सी.पी. शिंदे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(5) प्रो. एस.के. गुप्ता, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(6) डॉ. ज्योति प्रसाद, प्राचार्य, शासकीय ही.आर.एस. कव्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर।

(संयोजक)

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेगम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, धरेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणि

क ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्थान से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेन्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विचुकितयों का प्रमाण एवं तेवत आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विर्णायानुसार विरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का विरीक्षण कार्यालय में विरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के विदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गव्य के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का विरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थात् जमा कराकर वरीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में विरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिवेगम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जार्ये तथा महाविद्यालय की क्षमता सिद्धान्त से निरीक्षण समिति को अवगत करावें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसदीक

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सलपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)